यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला आबकारी अधिकारी, नई टिहरी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला आबकारी अधिकारी, नई टिहरी के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अशोक मीना ले.प. एवं श्री ए. के गुप्ता श्री अंशुमन अग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 18.11.2017 से 28.11.2017 तक श्री पी.के. गुप्ता लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1) परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री निखिल गोस्वामी (ले.प), एवं श्री एन.के. बंसल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीयों द्वारा दिनांक 11.04.2016 से 19.04.2016 तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 10/2014 से 03/2016 तक एवं व्यय हेतु माह 10/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 04/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** –जिला नई टिहरी
3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व ¼: **yk[k esa½**
2014-15	4948.33
2015-16	5669.47
2016-17	5316.34

(ii)(c) बजट का विवरण:-विगत दो वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	-	-	55.46	54.56	-	-	-	0.90
2015-16	-	-	67.07	65.88	-	-	-	1.18
2016-17	-	-	87.22	73.31	-	-	-	13.91

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
एसी कोई योजना नहीं है।					

(iii) इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई --ए---श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

आबकारी सचिव> आबकारी आयुक्त >अपर आबकारी आयुक्त> संयुक्त आबकारी आयुक्त > उप आबकारी आयुक्त > सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी > आबकारी अधिकारी निरीक्षक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **जिला आबकारी अधिकारी, नई टिहरी** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला आबकारी अधिकारी, नई टिहरी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्वः माह 03/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह 04/2016 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 अ

प्रस्तर-01 अनुज्ञापियों द्वारा निश्चित समयावधि मे आवश्यक दस्तावेज जमा न किए जाने के बावजूद लाईसेंस फीस जब्त न किया जाना ₹392.70 लाख।

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग संख्या 118/XXIII/2016/04(01) 2016 देहरादून दिनांक 25 फरवरी 2016 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु नियम 18(3) मे यह प्रावधान किया गया है कि दुकान आंवटित होने के 20 दिन के अन्दर यदि अनुज्ञापी हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र और स्थायी निवास प्रमाण-पत्र जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय मे प्रस्तुत नही करता है तो इस दशा मे अनुज्ञापी को आंवटित देशी/विदेशी मदिरा दुकान का आवंटन अनुज्ञापी के जोखिम The Uttarakhand Excise (settlement of licenses for retail sale country /foreign liquor/beer rule, 2001) से स्वत: निरस्त माना जायेगा तथा अनुज्ञापी द्वारा जमा किये गये समस्त राजस्व को सरकार के पक्ष मे जब्त कर दिया जायेगा।

यदि आवेदक के पास पैन नम्बर नही हो, तो उसे दुकान आवंटन के 20 दिन के अन्दर पैन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे दिया गया लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, नई टिहरी के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2016-17 मे जनपद के 15 अनुज्ञापियों द्वारा आवश्यक सभी/पूर्ण अभिलेख आबकारी नीति के नियम-18 के अनुसार निश्चित समयावधि मे प्रस्तुत नही किए गये थे (सूची संलग्न)। अतः विदेशी मदिरा की लाईसेंस फीस □₹**3,92,70,000** जब्त कर लाईसेन्स निरस्त किया जाना अपेक्षित था एवं इसके अतिरिक्त 20 दिन के अन्दर अन्य जमा राजस्व भी जब्त किया जाना अपेक्षित था। परन्तु विभाग द्वारा लाइसेन्स निरस्त कर राजस्व जब्त की कार्यवाही नही की गयी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि संबन्धित अनुज्ञापियों को दुकान आवंटन के समय ही समस्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित समयावधि के अंतर्गत प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया

गया था। पुनः नोटिस देकर उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। जिसके क्रम में अनुज्ञापियों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा वांछित प्रमाण पत्रों यथा हैसियत/ स्थायी/ चरित्र हेतु समय से आवेदन कर दिया गया था परन्तु संबन्धित प्रमाण पत्रों से संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण करने में समय लगने के कारण प्रमाण पत्र जारी होने में विलम्ब हुआ। अतः उक्त प्रमाण पत्र संबन्धित प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकारी के स्तर पर प्रक्रियाधीन होने के कारण दुकानों का आवंटन निरस्त नहीं किया गया व जारी होने के बाद समस्त अनुज्ञापियों द्वारा वांछित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिये गए।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त शासनादेश के अनुसार निर्धारित समयावधि में सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर लाइसेन्स फीस को जब्त किया जाना था।
अतः प्रकरण को शासन एवं उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

क्रम संख्या	दुकान का नाम	अनुज्ञापी का नाम	दुकान आवंटन की तिथि	दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	विलम्ब से प्रस्तुत दस्तावेज़	दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का दिनांक	लाइसेन्स फीस (`)
1	भागीरथीपुरम	श्री अनुराग पयाल	26.03.2016	15.04.2016	हैसियत प्रमाण पत्र	24.04.2016	3832000
					चरित्र प्रमाण पत्र	09.05.2016	
2	घनसाली	श्री जगदम्बा प्रसाद	21.03.2016	10.04.2016	हैसियत प्रमाण पत्र	30.04.2016	4510000
3	गजा	श्रीमती सोबन देई	21.03.2016	10.04.2016	निवास प्रमाण पत्र	22.04.2016	1385000
					हैसियत प्रमाण पत्र	07.10.2016	
4	चमियाला	श्रीमती शशी देवी	21.03.2016	10.04.2016	हैसियत प्रमाण पत्र	24.04.2016	1211000
					निवास प्रमाण पत्र	09.05.2016	
					चरित्र प्रमाण पत्र	09.05.2016	
5	कौडियाला	श्री सब्बल सिंह	21.03.2016	10.04.2016	निवास प्रमाण पत्र	09.09.2016	1527000
					हैसियत प्रमाण पत्र	25.04.2016	
6	कीर्तिनगर	श्री विजेंद्र प्रसाद	21.03.2016	10.04.2016	हैसियत प्रमाण पत्र	19.04.2016	3704000
					चरित्र प्रमाण पत्र	18.04.2016	
7	लम्बगाँव	श्री भगवान सिंह	21.03.2016	10.04.2016	चरित्र प्रमाण पत्र	26.04.2016	3044000
8	नई टिहरी	श्री सूर्य प्रकाश	21.03.2016	10.04.2016	हैसियत प्रमाण पत्र	03.12.2016	3398000
9	चम्बा	श्री पूर्ण सिंह	21.03.2016	10.04.2016	निवास प्रमाण पत्र	16.04.2016	6334000
					चरित्र प्रमाण पत्र	18.04.2016	
10	हिंडोलाखाल	श्री विशन सिंह	21.03.2016	10.04.2016	चरित्र प्रमाण पत्र	21.04.2016	1777000
					हैसियत प्रमाण पत्र	16.04.2016	
11	नरेंद्र नगर	श्री आशुतोष प्रसाद	21.03.2016	10.04.2016	चरित्र प्रमाण पत्र	16.05.2016	2849000

12	नन्दगाँव गडोलिया	श्रीमती सीता देवी	21.03.2016	10.04.2016	निवास प्रमाण पत्र	05.05.2016	1522000
13	शिवपुरी	श्रीमती श्यामा देवी	21.03.2016	10.04.2016	हैसियत प्रमाण पत्र	19.04.2016	2185000
					चरित्र प्रमाण पत्र	01.06.2016	
14	छाम कंडीसौड	श्रीमती विमला देवी	21.03.2016	10.04.2016	हैसियत प्रमाण पत्र	28.04.2016	1443000
15	धनोल्टी	श्री दरमियान चंद रमोला	21.03.2016	10.04.2016	हैसियत प्रमाण पत्र	23.04.2016	549000
योग							**3,92,70,000**

<u>भाग 2 ख</u>

प्रस्तर-01 बैंक गारण्टी पर निर्धारित दर से कम स्टाम्प शुल्क लिए जाने के कारण राजस्व क्षति □₹0.91 लाख।

इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा 33 के अनुसार विधि या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लिये अधिकृत पुलिस अधिकारी के सिवाय, सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी, प्रत्येक व्यक्ति, जिसके समक्ष, उसके कर्तव्यो के सम्पादन मे कोई ऐसा विलेख प्रस्तुत किया जाये, या आ जाये, जो उसकी राय मे स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य है और उसे प्रतीत हो कि वह विलेख यथाविधि स्टाम्पित नही है, उसे जब्त करेगा।

पुन: अनुसूची एक ख-12–क के अनुसार बैंक गारण्टी पर स्टाम्प शुल्क प्रत्येक ₹ 1000/- या उसके भाग के लिये पांच रुपये परन्तु शुल्क ₹10000/- से अधिक नही होगा।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, नई टिहरी के विदेशी मदिरा के फुटकर 11 लाइसेन्सियों की पत्रावली की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि संलग्न विवरण के अनुसार लाइसेन्स धारको द्वारा वर्ष 2016-17 में जो बैक गारण्टी जमा की गयी थी उस पर स्टाम्प शुल्क ₹90560 कम अदा किया गया है।
उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि संबन्धित अनुज्ञापियों से बैंक गारंटी पर निर्धारित से कम स्टाम्प शुल्क की वसूली की कार्यवाही करने के उपरान्त कृत कार्यवाही की सूचना प्रेषित कर दी जाएगी।
अतः प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

क्रम संख्या	दुकान का नाम	अनुज्ञापी का नाम	बैंक गारंटी की धनराशि ₹ में	बैंक का नाम	देय स्टाम्प शुल्क ₹ में	दिया गया स्टाम्प शुल्क ₹ में	कम अदा स्टाम्प शुल्क ₹ में
1	भागीरथीपुरम	श्री अनुराग पयाल	3672536	अल्मोड़ा अर्बन कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	10000	100	9900
2	चम्बा	श्री पूरण सिंह	6069741	कुर्मांचल नगर सहकारी बैंक लिमिटेड	10000	100	9900
3	नरेन्द्रनगर	श्री आशुतोष प्रसाद	1180656	जिला सहकारी बैंक घनसाली टिहरी गढ़वाल	5910	100	5810
4	कीर्तिनगर	श्री विजेन्द्र प्रसाद	3549840	यूको बैंक ऋषिकेश	10000	100	9900
5	लम्बगाँव	श्री भगवान सिंह	2917329	अल्मोड़ा अर्बन कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	10000	100	9900
6	चमियाला	श्री शशी रावत	1160806	अल्मोड़ा अर्बन कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड	5810	100	5710
7	धनोल्टी	श्री दरमियान चंद रमोला	526000	उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक	2630	100	2530
8	शिवपुरी	श्रीमती श्यामा देवी	2094370	यूको बैंक ऋषिकेश	10000	100	9900
9	कौडियाला	श्री सब्बल सिंह	1464000	उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक	7320	110	7210
10	नई टिहरी	श्री सूर्य प्रकाश सिंह	3257000	कुर्मांचल नगर सहकारी बैंक लिमिटेड	10000	100	9900
11	घनसाली	श्री जगदम्बा प्रसाद	4323000	कुर्मांचल नगर सहकारी बैंक लिमिटेड	10000	100	9900
योग					**91670**	**1110**	**90560**

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	निस्तारित किये गये प्रस्तर भाग-II (अ)	निस्तारित किये गये प्रस्तर भाग-II (ब)	टिप्पणी
SE-69/2004–	-	01,02,03,		03	भाग 2(ब) प्रस्तर 2 पूर्व में ही निस्तारित है

05					
SE-33/2008-09	-	01		01	
SE-10/2011-12	-	01			त्रुटिवश अंकित हुआ है।
SE-09/2012-13	01,02,03,	01,02,03,04	01,03	02,03	भाग 2(अ) प्रस्तर 2 तथा भाग (ब) प्रस्तर 1 DCA 2012 में प्रिन्ट हो चुका है PAC पैरा
SE-03/2016-17		02			

नोट- निस्तारित प्रस्तरो का निस्तारण लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन मेमो के आधार पर किया गया है।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : लागू नहीं

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

व्यय से संबन्धित: - लागू नहीं

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य**
(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य – टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **जिला आबकारी अधिकारी, नई टिहरी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   शून्य टिप्पणी
2. **सतत् अनियमितताएः**

टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमती सोनिका	जिला आबकारी अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला आबकारी अधिकारी, नई टिहरी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र